विविध **बैंक प्रकरण संख्या 122/2019(RCMS : 2019/00217) पंजाब नेशनल बैंक** जरिये प्राधिकृत अधिकारी/शाखा प्रबन्धक श्री राजेश कुमार, पंजाब नेशनल बैंक, शाखा कार्यालय, मीरा चौक, श्रीगंगानगर **बनाम मैसर्स अपूर्व इंपेक्स–प्रो. सुनीता वधवा** पत्नि मोहन लाल वधवा निवासी दुकान नं. 2, न्यू क्लॉथ मार्केट, श्रीगंगानगर, मकान नं. 52–ई ब्लॉक, वार्ड नं. 30, श्रीगंगानगर, मकान नं. 4 एफ ब्लॉक, श्रीगंगानगर एवं मकान नं.4 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर **2. मोहन लाल वधवा** पुत्र राज कुमार वधवा निवासी मकान नं. 52–ई ब्लॉक, वार्ड नं. 30, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.02.2020

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक की ओर से श्री भारत भूषण महेन्द्रा उपस्थित हुए और निवेदन किया कि अप्रार्थी ऋणी का बैंक ऋण खाता रेग्यूलर हो गया है। प्रार्थी बैंक की ओर से अप्रार्थीगण मैसर्स अपूर्व इंपेक्स–प्रो. सुनीता वधवा एवं मोहन लाल वधवा द्वारा बैंक से प्राप्त ऋण का भुगतान न किये जाने के कारण ऋण की एवज में अप्रार्थी श्री मोहन लाल वधवा ऋणी द्वारा बंधक रखी गई सम्पत्ति मकान नं. 55 ई ब्लॉक (पूर्वी भाग) (क्षेत्रफल 15′ गुणा 50′) श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्राप्ति के लिए धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.09.2019 को प्रस्तुत किया हुआ है और **अब इस प्रकरण में प्रार्थी बैंक, अप्रार्थी ऋणी के विरूद्ध किसी प्रकार से आगे कोई कार्रवाई नहीं चाहता हैं और** यदि प्रकरण में इसी स्टेज पर कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

मैने उक्त तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 19.09.2019 को एक प्रार्थना पत्र प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक श्रीगंगानगर के द्वारा धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अन्तर्गत मैसर्स अपूर्व इंपेक्स–प्रो. सुनीता वधवा एवं मोहन लाल वधवा के विरूद्ध पेश कर,

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति मकान नं. 55 ई ब्लाकॅ (पूर्वी भाग) (क्षेत्रफल 15' गुणा 50') श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा दिलवाने के लिए प्रस्तुत किया था और **अब प्रार्थी बैंक ने यह प्रार्थना की गई है कि इस प्रकरण में वे किसी प्रकार से आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं इसलिए यदि इस प्रकरण को इसी आधार पर खारिज कर दिया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।**

चूंकि अब प्रार्थी पंजाब नेशनल बैंक, श्रीगंगानगर इस प्रकरण में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है इसलिए उनके द्वारा वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 **धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना दिनांक 19.09.2019 को इसी आधार पर खारिज किया जाता है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर